सत्यमेव जयते

# न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

## COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

**विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities**
**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment**
**भारत सरकार / Government of India**

वाद संख्या 4339 / 1141 / 2015 दिनांक 01.11.2016

श्री प्रेम नारायण साहू
मकान संख्या 18–ई एन / 2 रोड, D453
नई सब्जी मण्डी,
हरजिन्दरनगर, कानपुर–208007 ... वादी

बनाम

रेलवे बोर्ड, रेल भवन, D454
द्वारा – सलाहकार (लोक शिकायत),
नई दिल्ली–110001 ... प्रतिवादी

**सुनवाई की तिथि – 04.10.2016**

उपस्थित–

(i) श्री प्रेम नारायण साहू, शिकायतकर्ता स्वयं।
(ii) प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से काई भी उपस्थित नहीं हुए।

**आदेश**

शिकायतकर्ता, 40 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति (वरिष्ठ नागरिक) ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा, के अन्तर्गत एक शिकायत दिनांक 05.05.2015 इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। उनका कहना था कि दिनांक 01.05.2015 को गाड़ी संख्या 12943 – कानपुर से बलसाड़ – में विकलांग डिब्बा नहीं लगा हुआ था तो लगभग सभी विकलांगयात्री डिब्बा संख्या 931135 डब्लू आर में सवार हो गए (टिकट संख्या सी43797032)। गाड़ी चलने पर गार्ड ने सभी विकलांगयात्रियों से 100 रूपये रिश्वत माँगें क्योंकि वह महिला डिब्बा था। सभी लोग 50 रूपये देने लगे। जब गार्ड ने शिकायतकर्ता से रूपये माँगे तो उन्होंने विरोध किया। गाड़ी धीमीं होने के कारण जबरदस्ती खींचकर नीचे धक्का देकर प्लेटफार्म पर गिरा दिया जिससे शिकायतकर्ता को चोटें आईं। उसी समय रेलवे सुरक्षा बल का सिपाही 0164414 डब्लू आर सबारी डिब्बा में चढ़ा दिया। सभी यात्रियों ने इसका विरोध किया। गार्ड महोदय ने धमकी दी और कहा कि कहीं भी शिकायत करने पर उनका कुछ नहीं होगा। यात्रियों ने उरई रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर से शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया लेकिन गाड़ी खुल गई। जब गाड़ी झाँसी पहुँची तो गार्ड से उनका नाम पूछा तो गार्ड ने नाम नहीं बताया बदले में धमकी दी और अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि उनका कुछ नहीं कर पाएंगे।

2. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, अधिनियम की धारा 59 के अन्तर्गत मामले को प्रतिवादी के साथ उठाया गया और प्रतिवादी को यह सलाह दी गई की मामले की जाँच कराकर उसकी रिपोर्ट आपनी आख्या के साथ इस न्यायालय को 30 दिनों के भीतर भेजें और यह सुनिश्चित करें की रेलवे कर्मी निःशक्त यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार न करें और उनके साथ संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करें ताकि उनके अधिकारों का हनन न हों।

3. पर्याप्त समय बीत जाने के पश्चात और स्मरण–पत्र दिनांक 06.11.2015, 15.06.2016 और 13.07.2016 के बाद भी प्रतिवादी से वांछित जानकारी न प्राप्त होने पर सूनवाई की तिथि दिनांक 04.10.2016 निश्चित की गई और दोनों पक्षों को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

4. इसी दौरान प्रतिवादी की ओर से पत्र दिनांक 17.08.2016 प्राप्त हुआ जिसके साथ सम्बन्धित उत्तर मध्य रेलवे से प्राप्त उत्तर दिनांक 11.08.2016 संलग्न था जिसके अनुसार दिनांक 01.05.2015 को गाड़ी संख्या 12944 में विकलांग कोच नहीं लगा हुआ था। गार्ड श्री लखनपाल को गाड़ी का चार्ज सम्भालते समय कुछ महिलाओं द्वारा महिला कोच में पुरूष यात्रियों द्वारा यात्रा किए जाने की मौखिक शिकायत की। गार्ड ने इसकी सूचना वाकी–टाकी से ऑन ड्यूटी उप स्टेशन प्रबन्धक, कानपुर को दी इसके पश्चात महिला कोच में बैठे पुरूष यात्रियों को किसी अन्य कोच में बैठने की सलाह दी। जिसपर कुछ विकलांग यात्रियों द्वारा विकलांग कोच न उपलब्ध होने के कारण महिला कोच में यात्रा करने की जिद की, परन्तु महिला यात्रियों द्वारा विरोध करने पर उन्हें पुनः किसी भी अन्य कोच में बैठने को कहा गया। उसी समय आरपीएफ स्टाफ आए तथा पुरूष यात्रियों से जिसमें विकलांग यात्री भी शामिल थे, उन्हें अन्य कोच में बैठाया गया। गार्ड द्वारा विकलांग यात्रियों से रिश्वत मांगने एवं रिश्वत न देने पर चलती गाड़ी से खींचकर चोट लगाने का आरोप असत्य बताया क्योंकि गाड़ी को प्रस्थान करने का कार्य गार्ड द्वारा अपने ब्रेकवॉन में उपस्थित होकर ही किया जाता है। गार्ड द्वारा अपना नाम न बताना भी निराधार बताया गया है क्योंकि गार्ड की वरदी पर नेम प्लेट सदैव लगा रहता है। गार्ड द्वारा उक्त गाड़ी को कानपुर से झांसी तक लाया गया परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा यात्रा के दौरान किसी भी स्टेशन पर या अन्य किसी रेल कर्मचारी को इस बावत् सूचना नहीं दी गई।

5. सुनवाई की तिथि 04.10.2016 को वादी ने यात्रा के दौरान गार्ड द्वारा किए गए दुर्व्यवहार, रिश्वत मांगने और गाड़ी से नीचे खींचकर चोट लगाने की घटना को पुनः दुहराया और घटना के समय अपने फटे हुए जूते और कपड़े भी दिखाए। शिकायतकर्ता ने सुनवाई की तिथियों पर उपस्थित होने की छूट के लिए भी निवेदन किया।

6. उपरोक्त के आलोक में यह स्पष्ट है कि दिनांक 01.05.2015 को गाड़ी संख्या 12943 – कानपुर से बलसाड़ – में विकलांग डिब्बा नहीं लगा हुआ था जिसके कारण विकलांग यात्री महिला कोच में सवार हुए। यदि गार्ड द्वारा गाड़ी का प्रस्थान करने का कार्य ब्रेकवान में ही किया गया तो यात्रा के दौरान महिला कोच में शिकायतकर्ता सहित अन्य पुरूष यात्रियों से रिश्वत न देने पर बर्बरतापूर्वक व्यवहार करने वाला व्यक्ति कौन था क्योंकि ट्रेन में साधारण यात्रियों से रेलवे कर्मियों द्वारा रिश्वत लेने और उगाही करने की शिकायत आम है। यह भी स्पष्ट है कि गार्ड के वरदी पर नेम प्लेट नहीं था यदि गार्ड ने नेम प्लेट लगाया होता तो शिकायतकर्ता द्वारा नाम पूछे जाने का कोई औचित्य नहीं था। इससे यह प्रतीत होता है शिकायतकर्ता जो कि एक वरिष्ठ विकलांग व्यक्ति हैं के साथ असंवेदनशील व्यव्हार किया गया। अतः प्रतिवादी को यह सलाह दी जाती है कि मामले की जाँच रेलवे के सतर्कता विभाग द्वारा कराकर दोषी रेलवेकर्मी व व्यक्ति के विरूद्ध कार्रवाई की जाए। कृत कार्यवाही से इस न्यायालय को 60 दिनों के भीतर अवगत कराएं। यह भी सलाह दी जाती है कि रेलगाड़ियों में विकलांग डिब्बा न होने की स्थिति में विकलांग यात्रियों के लिए समयानुकुल समुचित व्यवस्था करने का प्रावधान करें। शिकायतकर्ता को भविष्य में होने वाले सुनवाई में उपस्थित न होने की छूट दी जाती है।

(डा. कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन